

प्रकरण संख्या :- 45/2020 (2020/00117)  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. जगदीश पुत्र बद्रीदास बैरागी
  2. कमला पुत्री बद्रीदास बैरागी
  3. गीता पुत्री बद्रीदास बैरागी
- सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र भंवरलाल काबरा (महाजन)
  2. केसर पत्नी रामचन्द्रदास बैरागी
  3. मूलचन्द पुत्र छोगा खटीक
  4. गोपीलाल पुत्र नानु खटीक
  5. रामचन्द्र पुत्र मांगु खटीक
  6. शांतिलाल पुत्र मांगु खटीक
- सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री सुनिल कुमार जैन

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-29.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 50 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 52 रकबा 0.18 कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 459 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगद्दी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 7 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 50 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 52 रकबा 0.18 कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 459 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
उ(विशेष न्यायाधीश)  
गंगापुर जिलाधिकारी  
गंगापुर(भीलवाड़ा)